न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 03/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/8

अनवान्

1. श्रीमती लहरकुंवर पत्नी दौलतसिंह देवडा राजपूत निवासी चार चडस डबोक तहसील मावली।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. श्री मनोहरसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत निवासी बामणिया खेत डबोक तहसील मावली।
2. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय मावली तहसील मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री जसवन्त राय चौहान, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 04.11.2025

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की आराजी नम्बर 11, 34, 39 किता 3 कुल रकबा 0.4371 हेक्टेयर कृषि आराजीयात मुझ प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम पर बराबर–बराबर हिस्सेनुसार वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात पूर्व खातेदार गुलाबसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत एवं विपक्षी संख्या 1 प्रत्येक के नाम 1/2–1/2 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज थी जो दोनो सगे भाई होकर इन्होने कई वर्षों पूर्व ही अपनी उक्त वर्णित कृषि आराजीयात का मौके पर आपसी सहमति से पांती बंटवाडा कर रखा था जिस बंटवाडे के मुताबिक वाद वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 11, 34 की कुलिया कृषि भूमि गुलाबसिंह के हिस्से पांती में रही तथा आराजी नम्बर 39 की कुलिया कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के हिस्से पांती में रही। दोनो भाई आपसी सहमति से किये गये

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त बंटवाडे अनुसार अर्थात् आराजी नम्बर 11 व 34 गुलाबसिंह एवं आराजी नम्बर 39 पर विपक्षी संख्या 1 वर्षों से अपने परिवारजन सहित मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा इस दरमियान वर्ष 2002 में खातेदार गुलाबसिंह को जायज जरूरीयात हेतु रूपयो की आवश्यकता होने से वाद वर्णित कुलिया कृषि भूमि निहित अपने हक हिस्से को 5,00,000/– पांच लाख रूपया में मुझ प्रार्थीया को विक्रय करना तय कर विक्रय कर दी और अपने हिस्से एवं कब्जे की आराजी नम्बर 11 व 34 की कुलिया कृषि भूमि पर मुझ प्रार्थीया को काबिज करा दिया जिससे मैं प्रार्थीया अपने परिवार सहित इन दोनो आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गई और इसके बाद दिनांक 27.01.2012 को विक्रेता गुलाबसिंह ने मुझ प्रार्थीया के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया। इस प्रकार मैं प्रार्थीया वक्त खरीद से अपने परिवारजन सहित अपनी क्रयसुदा कृषि भूमि आराजी नम्बर 11 व 34 के कुलिया भू भाग पर आज तक काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं जिसे करीब 20 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और इसका ज्ञान विपक्षी संख्या 1 एवं हर आम व खास को हैं।

3. यह कि खातेदार गुलाबसिंह द्वारा अपने हिस्से कब्जे की भूमि विक्रय कर इन दोनो आराजी नम्बर 11 व 34 का कब्जा मुझ प्रार्थीया को सुपुर्द करने के पश्चात् मुझ प्रार्थीया एवं मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि को इसके सटमा स्थित हमारी पुश्तैनी कृषि भूमि में मिलाकर एकचक बना दिया और कुलिया भूमि के चारो तरफ बाड/कोट निर्मित कराई और भूमि में आने–जाने के लिये फाटक लगाई है जो मौके पर आज भी मौजूद है तथा इस कृषि भूमि पर फर्दन–फर्दन अब तक हमारे द्वारा काफी लागत लगाकर एवं परिवार सहित सख्त परिश्रम करके कुलिया कृषि भूमियों को विकसित कर आवादान की गई एवं समय–समय पर मौसमवार उक्त वर्णित कुलिया कृषि भूमि पर जौ, गेहूं, मक्का इत्यादि फसले बोकर पैदावार प्राप्त करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी उक्त कृषि भूमि पर गेंहू एवं जौ की फसले बो रखी है जो बडी हो चुकी हैं। इस प्रकार मैं प्रार्थीया अपने परिवारजन सहित नियमित एवं निर्बाध रूप से आराजी नम्बर 11 व 34 की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हूं जिसमें विपक्षी संख्या 1 अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 के हिस्से में आराजी नम्बर 39 रही है जिस पर वो काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है किन्तु मुझ प्रार्थीया के कब्जे काश्त की इन दोनो आराजीयात में 1/2 हिस्सेनुसार वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 का नाम भी दर्ज चला आ रहा है जिसकी आड

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

लेकर विपक्षी संख्या 1 मुझ प्रार्थीया के कब्जे अधिकार की जमीन पर अनाधिकार रूप से कब्जा कर मुझ प्रार्थीया को बेदखल करने पर उतारू है एवं मौके पर बनी हुई बाउण्ड्रीवाल को ताकत के बल पर तोड फोड कर ध्वस्त करने के प्रयास कर रहा है और विपक्षी संख्या 1 मुझ प्रार्थीया एवं मेरे परिवारजनों को धमकीयां दे रहा है कि अगर तुम जमीन खाली नहीं करोगें तो मैं तुम्हारी इस जमीन को ऐसे लोगो को जमीन बेच दूंगा जो लाठी के दम पर तुमको बेदखल कर इस जमीन पर कब्जा कर लेंगे जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है और आपसी पांती बंटवाडे से ये दोनो आराजी खातेदार गुलाबसिंह के हिस्से कब्जे में रहने से विपक्षी संख्या 1 का इन दोनो आराजी के किसी भी भू भाग पर कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है और न ही वर्तमान में हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 11 व 34 में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज कुलिया हिस्से को मैं प्रार्थीया एडवर्स पजेशन के आधार पर अपनी खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने का अधिकारी हूं जिसके लिये मुझ प्रार्थीया की ओर से वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि आराजी नम्बर 11 व 34 के कुलिया भू भाग पर पूर्व में विक्रेता खातेदार गुलाबसिंह एवं उसके बाद खरीद से मुझ प्रार्थीया का ही निर्बाध रूप से चला आ रहा है और मुझ प्रार्थीया द्वारा इस भूमि को अपनी अन्य पुश्तैनी कृषि भूमियों में मिलाकर एकचक बनाकर बाउण्ड्री कर रखी है, वर्तमान में मैने गेहूं, जौ की फसले बो रखी है लेकिन सभी तथ्यों से अवगत होने के बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 उसका नाम इन आराजीयात की भूमि में अंकित होने की आड लेते हुए मेरे कब्जे उपयोग में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा कर रहा है और जबरन मुझे बेदखल कर कब्जा करना चाह रहा है, अन्य को हस्तान्तरित कर नुकसान पहुंचाने के प्रयास कर रहा है जबकि इसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थीया के कब्जे उपयोग की भूमि आराजी नम्बर 11, 34 को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीया को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, कब्जा नहीं करे, बेदखल नहीं करे, प्रार्थीया के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे एवं मौके व राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 2 से 4 को पाबंद किया जावे कि उक्त भूमि के संबंध में विपक्षी संख्या 1 किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन व नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत करे तो विपक्षी संख्या 2 से 4 पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे, रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थीया को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मेरे पक्ष में हैं।

5. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 11 व 34 में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में किन्ही कारणों से मेरी खातेदारी में कोई अडचन उपस्थित होती है तो भी इन आराजीयात के कुलिया भू भाग की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का करीब 30–40 वर्षों से भी ज्यादा समय से कब्जा नहीं रहा है तथा विक्रेता गुलाबसिंह एवं उसके बाद वक्त खरीद से अर्थात् गत 20 वर्षों से खुले रूप में शांतिपूर्वक लगातार अधिकार सहित कब्जा मुझ प्रार्थीया का चला आ रहा है इसलिए प्रतिकूल कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर मैं प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि को अपने खाते कराने की अधिकारी हूं। चूंकि विपक्षी संख्या 1 का कब्जा इन आराजीयात पर नहीं रहा है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1)(4) के अन्तर्गत उसकी खातेदारी तो स्वतः ही समाप्त हो गयी है और मैं प्रार्थीया इसकी खातेदार काश्तकार बन गयी हूं।

6. यह कि मुझ प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 13.12.2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने मौके पर आकर मुझ प्रार्थीया को मेरे कब्जे अधिकार की कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी और समझाने पर भी नहीं माना। इसलिए उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थीया के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीया के कब्जे काश्त की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 11, 34 का प्रार्थीया को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, बेदखल नहीं करे, न कब्जा करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 ताफैसला मूल वाद रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे, इस भूमि से संबंधित किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

करे, नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अन्य के मार्फत करावे, रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में मूल पुरूष मुझ विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री दौलतसिंह के नाम पर सम्पूर्ण हिस्से से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज थी तथा दौलतसिंह की मृत्यु के उपरान्त उक्त वादग्रस्त भूमि विरासत से पूर्व खातेदार गुलाबसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत एवं मुझ विपक्षी संख्या 1 के नाम पर 1/2–1/2 हिस्से से दर्ज हुई, पूर्व में प्रार्थीया द्वारा वर्णित कोई सहमति बंटवाडा निष्पादित नहीं हुआ था, राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रत्येक आराजीयात में 1/2–1/2 हिस्सा गुलाबसिंह एवं मुझ विपक्षी संख्या 1 का दर्ज था, जिस पर बराबर हक व हिस्से से खेती करते चले आ रहे थे, आराजी नम्बर 39 का 1/2 हिस्सा ही मेरे हिस्से में आया था।

8. यह कि हम दोनो भाईयों के मध्य ऐसा कोई सहमति बंटवाडा नहीं हुआ था, न ही ऐसा कोई दस्तावेज बंटवाडे बाबत् हमारे मध्य निष्पादित हुआ था। आराजी संख्या 11, 34, 39 में विपक्षी बराबर हिस्से से कब्जे काश्त होकर खेती करता चला आ रहा है, गुलाबसिंह ने उक्त भूमि वादी को सन् 2002 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की थी, उस विक्रय पत्र में आराजी संख्या 11 व 34 का 1/2 हिस्सा जो गुलाबसिंह के नाम पर दर्ज था वो विक्रय किया था तथा मौके पर कब्जा भी 1/2 हिस्से का ही सिपूर्द किया था। आराजी संख्या 11 व 34 पर प्रार्थीया का 1/2 हिस्से का ही कब्जा है, उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से पर मैं विपक्षी संख्या 1 कब्जे काश्त होकर खेती करता चला आ रहा हूं। प्रार्थीया जबरन मेरे 1/2 हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है जबकि मैं अपने 1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त होकर खेती करता चला आ रहा हूं। प्रार्थीया द्वारा वर्णित सहमति बंटवाडे बाबत् कोई लिखापढी गुलाबसिंह एवं मुझ विपक्षी के मध्य निष्पादित नहीं की थी, दौलतसिंह जी के अन्तिम समय से मैं विपक्षी एवं गुलाबसिंह प्रत्येक आराजीयात के 1/2–1/2 हिस्से पर खेती करते चले आ रहे हैं।

9. यह कि प्रार्थीया लालचवश अपनी निजी सम्पति में मेरी आराजीयात आराजी संख्या 11 एवं 34 को अवैध रूप से अपनी भूमि में मिलाने हेतु गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 की सम्पति हडप कर उक्त वादग्रस्त भूमि को अपनी निजी आराजीयात में मिलाना चाहती हैं। आप द्वारा बनाई गई लोहे की फाटक व दीवार आपके आधे हिस्से में बनी हुई है तथा उक्त भूमि के आधे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से पर मुझ विपक्षी संख्या 1 की निजी दिवार बनी हुई है तथा आप द्वारा अपने हिस्से की भूमि को आवादान करने हेतु लाखों खर्च किये होंगे परन्तु आराजी संख्या 11 व 34 में मेरा 1/2 हिस्सा है जिस पर मैं विपक्षी कब्जे काश्त होकर खेती करता आ रहा हूं इसलिए प्रार्थीया को मेरे हिस्से की भूमि में कब्जा करने एवं मुझ विपक्षी के कब्जे उपयोग उपभोग में किसी भी तरह दखलन्दाजी करने का अधिकार नहीं है, मैं विपक्षी संख्या 1 विधि के नियमानुसार प्रत्येक आराजीयात 1/2–1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त होकर खेती करता चला आ रहा हूं जिस कारण आप प्रार्थीया को आराजी संख्या 11 व 34 में 1/2–1/2 हिस्से पर मुझ विपक्षी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है, न ही मेरे 1/2 हिस्से पर किसी तरह का कोई एडवर्स पजेशन साबित होता है, गुलाबसिंह खातेदार रहने के दौरान आराजी संख्या 11 व 34 में 1/2 हिस्से पर ही कब्जे काश्त थे तथा उक्त भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त होकर खेती करता चला आ रहा था, गुलाबसिंह द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में 1/2 हिस्से का पंजीयन करवाया गया हैं।

10. यह कि प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है तथा न ही क्षति प्रार्थीया को कारित हो रही हैं बल्कि प्रार्थीया द्वारा मेरे हिस्से की भूमि का कब्जा कर प्रार्थीया की पुश्तैनी जमीन मैं मिलाना चाहती है जिससे अपूरणीय क्षति भी विपक्षी संख्या 1 को कारित हो रही है तथा प्रार्थीया न्यायालय को अंधेरे में रख कर मेरे हिस्से को अपनी पुश्तैनी आराजीयात में मिलाना चाहती है और मेरे विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहती है ताकि मुझे मेरे हिस्से की भूमि से बेदखल कर सकें। उक्त वादग्रस्त भूमि पर मैं विपक्षी संख्या 1 अपने 1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त होकर खेती करता चला आ रहा हूं तथा वर्तमान में खेती कर गेंहु एवं मक्का की फसल प्राप्त कर रहा हूं, प्रार्थीया वर्तमान में अपने 1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त होकर खेती करती चली आ रही है, प्रार्थीया का मेरे हिस्से पर कोई एडवर्स पजेशन नहीं है, प्रार्थीया आप न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आई हैं। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थना पत्र कारण गलत अंकित किया गया उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक को मुझ विपक्षी संख्या 1 एवं प्रार्थीया के मध्य कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थीया ने गलत तथ्य अंकित किये है तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं।

11. **काउन्टर प्रार्थना पत्र** पेश कर निवेदन किया कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक में स्थित आराजीयात जिसके आराजी नम्बर 11, 34 व 39 किता 3 कुल रकबा 0.4371 हेक्टेयर है उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया लहर कुंवर का 1/2 हिस्सा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

एवं मुझ विपक्षी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हिस्से अनुसार दर्ज हैं। प्रत्येक आराजीयात में मुझ विपक्षी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा बनता है जिस पर मैं विपक्षी संख्या 1 कब्जे काश्त होकर खेती करता चला आ रहा हूं।

12. यह कि दौलतसिंह ने मुझ विपक्षी संख्या 1 के पिता जी ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्र गुलाबसिंह व मनोहरसिंह के मध्य आराजी संख्या 11, 34 व 39 में 1/2 हिस्से पर बंटवाडा कर प्रत्येक आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा सिपुर्द कर दिया था जिस पर मैं विपक्षी संख्या 1 व गुलाबसिंह कब्जे काश्त होकर खेती करते चले आ रहे थे, गुलाबसिंह ने वर्ष 2002 में अपना 1/2 हिस्सा प्रार्थीया को हस्तान्तरण कर दिया, जिससे प्रार्थीया का नाम उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ है, विधिक रूप से उक्त भूमि का बंटवाडा नहीं हुआ है, मैं विपक्षी संख्या 1 प्रत्येक आराजीयात के 1/2 हिस्से पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार बंटवाडा करवाने का अधिकारी हूं, इस कारण उक्त भूमि का सही तरीके से उपयोग उपभोग करने के लिये जमीन का बंटवाडा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य प्रत्येक आराजीयात में हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा करवाया जावें। मैं विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार कब्जे काश्त होने से सुविधा संतुलन मुझ विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण मुझ विपक्षी संख्या 1 का होकर अपूरणीय क्षति मुझ विपक्षी संख्या 1 को कारित हो रही है, जिससे मैं विपक्षी संख्या 1 मेरे हिस्से व कब्जे की सम्पूर्ण आराजीयात का हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवाडा करवाने का अधिकारी हूं। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व मेरे हिस्से में हस्तक्षेप व दखलन्दाजी व उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हैं।

13. अन्त में निवेदन किया कि मुझ विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में मेरे 1/2 हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार कब्जा नहीं करे, मेरी भूमि को अपनी पुश्तैनी भूमि में नहीं मिलाये एवं मेरे हिस्से की भूमि में किसी भी तरह से दखलन्दाजी नहीं करे, मुझ विपक्षी संख्या 1 को मेरे हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

14. **प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया** कि गुलाबसिंह व मनोहरसिंह प्रत्येक आराजी के 1/2 हिस्से पर कभी काबिज नहीं रहे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

थे, न ही इस प्रकार का कभी कोई बंटवाडा हुआ था। वास्तविकता तो यह है कि गुलाबसिंह व मनोहरसिंह दोनो सगे भाई है जिन्होने कई वर्षों पूर्व ही अपनी उक्त वर्णित कृषि आराजीयात का मौके पर आपसी सहमति से पांती बंटवाडा कर रखा था जिस बंटवाडे के मुताबिक वाद वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 11, 34 की कुलिया कृषि भूमि गुलाबसिंह के हिस्से पांती में रही तथा आराजी नम्बर 39 की कुलिया कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के हिस्से पांती में रही और दोनो भाई इसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पांती की आराजी भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये। कालान्तर खातेदार गुलाबसिंह को जायज जरूरीयात हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से वाद वर्णित कुलिया कृषि भूमि निहित अपने हक हिस्से को मुझ प्रार्थीया को विक्रय कर दिया और अपने हिस्से एवं कब्जे की आराजी नम्बर 11 व 34 की कुलिया कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थीया को सौंप दिया था जिस वक्त से मैं प्रार्थीया इन दोनो आराजीयात पर अपने परिवार सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गई और इसके बाद दिनांक 27.01.2012 को विक्रेता गुलाबसिंह ने मुझ प्रार्थीया के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया। इस प्रकार मैं प्रार्थीया वक्त खरीद से अपने परिवारजन सहित अपनी क्रयसुदा कृषि भूमि आराजी नम्बर 11 व 34 के कुलिया भू भाग पर आज तक काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं जिसे करीब 20 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और इसका ज्ञान विपक्षी संख्या 1 एवं हर आम व खास को है फिर भी विपक्षी संख्या 1 ने मुझ प्रार्थीया को तंग प्रताडित करने की गरज से जानबुझकर इस तरह के मिथ्या एवं मनगढन्त कथन कर काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मौके पर बंटवाडा किया हुआ है और विपक्षी संख्या 1 की यह स्वीकारोक्ति प्रार्थीया के वाद व प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों की प्रकट रूप से पुष्टि करती हैं। वर्तमान में जमीनों की कीमतों में वृद्धि होने के चलते विपक्षी संख्या 1 के मन में लोभ लालच की भावना पैदा हो गई और लोभ लालच के वशीभूत होकर विपक्षी संख्या 1 मुझ प्रार्थीया को मेरे हक अधिकारों से वंचित करने की मंशा रख रहा है जिस मकसद से इस तरह के झूठे, बनावटी एवं भ्रामक कथन अपने जवाब एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में अंकित किये है जो किसी भी अवस्था में स्वीकार योग्य नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 लोभ लालच के वशीभूत होकर ही इस भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कराने की बात कह रहा है जो सरासर गलत होकर न्याय संगत

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

नहीं हैं। ऐसी अवस्था में विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि का किसी भी प्रकार से बंटवाडा कराने का अधिकारी नहीं हैं।

15. यह कि विपक्षी संख्या 1 का न तो प्राइमाफैसी केस है और न ही सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू इसके पक्ष में है क्योंकि खातेदार गुलाबसिंह द्वारा अपने हिस्से कब्जे की भूमि विक्रय कर इन दोनो आराजी नम्बर 11 व 34 का कब्जा मुझ प्रार्थीया को सुपुर्द करने के पश्चात् मुझ प्रार्थीया एवं मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि को इसके सटमा स्थित हमारी पुश्तैनी कृषि भूमि में मिलाकर एकचक बना दिया और कुलिया भूमि के चारो तरफ बाड/कोट निर्मित कराई और भूमि में आने–जाने के लिए फाटक लगाई है जो मौके पर आज भी मौजूद है तथा इस कृषि भूमि पर फर्दन–फर्दन अब तक हमारे द्वारा काफी लागत लगाकर एवं परिवार सहित सख्त परिश्रम करके कुलिया कृषि भूमियों को विकसित कर आवादान भी की गई एवं समय–समय पर मौसमवार उक्त वर्णित कुलिया कृषि भूमि पर जौ, गेहुं, मक्का इत्यादि फसले बोकर पैदावार प्राप्त करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी उक्त कृषि भूमि पर फसले बो रखी है। विपक्षी संख्या 1 का आराजी नम्बर 11 व 34 के किसी भी भू भाग पर न तो वर्तमान में कब्जा है, न ही पूर्व में रहा हैं। ऐसी अवस्था में विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि का न तो हिस्से कब्जे अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है, न ही किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकार रखता हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी मुझ प्रार्थीया के विरूद्व किसी भी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं।

16. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

17. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा काउन्टर वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, उसी के साथ काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में खातेदार गुलाबसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत एवं विपक्षी संख्या 1 प्रत्येक के नाम 1/2–1/2 हिस्सेनुसार दर्ज थी जो दोनो सगे भाई होकर इन्होने वर्षो पूर्व ही अपनी उक्त वर्णित कृषि आराजीयात का मौके पर आपसी सहमति पांती बंटवाडा कर रखा था जिस बंटवाडे के मुताबिक वाद वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 11, 34 की कुलिया कृषि भूमि गुलाबसिंह के हिस्से पांती में रही तथा आराजी नम्बर 39 की कुलिया कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के हिस्से पांती में रही। प्रार्थीया की कब्जे काश्त आराजी नम्बर 11, 34 में विपक्षी संख्या 1 दखलन्दाजी करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारीणी हूं। विपक्षी संख्या 1 का कथन है कि मुझ विपक्षी संख्या 1 के पिता दौलतसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्र गुलाबसिंह व मनोहरसिंह के मध्य आराजी नम्बर 11, 34, व 39 में 1/2 हिस्से पर बंटवाडा कर प्रत्येक आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा सिपूर्द कर दिया था जिस पर मैं विपक्षी संख्या 1 व गुलाबसिंह कब्जे काश्त होकर खेती करते चले आ रहे थे। इसलिए प्रार्थीया, विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारीणी नहीं हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम सहखातेदारी के रूप में राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि में से अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2012 को खातेदार गुलाबसिंह से क्रय किया गया था। उक्त विक्रय पत्र के अध्ययन से यह कही भी प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि में से आराजी नम्बर 11, 34 को ही क्रय किया गया हो। प्रार्थीया द्वारा आराजी नम्बर 11, 34 व 39 में से 1/2 हिस्सा क्रय किया गया था इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक आराजी में से प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा निहित है चूंकि सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा एवं हक माना जाता हैं। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 दोनो ही वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। उभय पक्षकारान एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं परन्तु उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से यदि किसी एक पक्ष के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे एक खातेदार के साथ कुठाराघात होगा तथा खातेदार को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। चूंकि प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दू उभय पक्षकारान अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दू उभय पक्षकारान के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। उभय पक्षकारान एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। उभय पक्षकारान खातेदार होने से यदि किसी एक खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। चूंकि उभय पक्षकारान द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू उभय पक्षकारान अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू उभय पक्षकारान के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

18. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया के विरूद्व बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का काउन्टर वाद पेश किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 159 पर दर्ज आराजी नम्बर 11, 34, 39 किता 3 कुल रकबा 0.4371 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में मूल बिन्दू वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार के मध्य आपसी बंटवाडा होकर आराजी नम्बर 11, 34 प्रार्थीया के हिस्से में रहने सम्बन्धित हैं जिसे मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

जायेगे। उभय पक्षकारान खातेदार होकर एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है परन्तु उभय पक्षकारान खातेदार होने से खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकारान के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested